

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3671
11.08.2025 को उत्तर के लिए

पर्यावरणीय स्वीकृति के कारण लंबित परियोजनाएं

3671. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों की परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने के कारण लंबित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उत्तर प्रदेश राज्य की कौन-कौन सी योजनाएं मंत्रालय के विचाराधीन हैं और उक्त योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (ग) मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) यथा संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 में निहित प्रावधानों के अनुसार, प्रस्तावों का मूल्यांकन और संस्तुति केंद्रीय स्तर पर परियोजना की श्रेणी के आधार पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) या राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा की जाती है। उल्लिखित समिति की संस्तुतियों के आधार पर, जैसा भी मामला हो, परियोजनाओं को मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईए) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्रदान करने या अन्यथा अनुमोदन के लिए विचार किया जाता है। ऊपर बताए गए प्रावधानों के अनुसार, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा परियोजना के मूल्यांकन और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) में निर्धारित शमन उपायों सहित उचित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को शामिल करने के बाद ही पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्रदान किया जाता है। दिनांक 06.08.2025 को परिवेश पोर्टल पर पुनः प्राप्त उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केंद्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित 16 प्रस्ताव उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए हैं। इन प्रस्तावों की राज्यवार सूची नीचे दी गई तालिका में प्रदान की गई है:

तालिका

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंत्रालय को प्रस्तुत पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तावों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	01
2	अरुणाचल प्रदेश	01
3	बिहार	01
4	छत्तीसगढ़	02
5	दिल्ली	01
6	हरियाणा	01
7	झारखड़	01
8	महाराष्ट्र	01
9	ओडिशा	02
10	पंजाब	02
11	तेलंगाना	01
12	उत्तर प्रदेश	01
13	उत्तराखंड	01

(ख) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य से पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित कोई भी योजना मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। हालाँकि, मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा "उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर, शामली और बिजनौर ज़िले में थाना भवन से बिजनौर कस्बे तक स्टील गैस पाइपलाइन (लगभग 89.00 किलोमीटर) बिछाने" नामक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से संबंधित एक परियोजना प्रस्ताव, पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए मंत्रालय में प्रस्तुत किया गया है। मंत्रालय, यथासंशोधित ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित पर्यावरणीय मंजूरी मामलों के निपटान हेतु समय-सीमा के अनुसार कार्य करता है।
